## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

## राजस्व वाद संख्या 30/2002

1– श्री बालकिशन पुत्र रामपाल जोशी बयाय उसके वारीसान व काननूी प्रतिनिधी
1/1– श्रीमति मायादेवी बैवा बालकिशन ब्राहम्ण
1/2– श्री मनमोहन पुत्र बालकिशन ब्राहम्ण
1/3– श्री राजेशकुमार पुत्र बालकिशन ब्राहम्ण
हाल निवासी पुलिस स्टेशन के पास, बेगू जिला– चितौड
1/4– श्रीमति चन्द्रा बालिग पुत्री बालकिशन जी पत्नि शिवशंकर जी व्यास निवासी आर0के0कॉलोनी भीलवाडा
1/5– श्रीमति गीता पुत्री बालकिशन पत्नि सत्यनारायण जी शर्मा कृषि उपज मण्डी के पीछे आर के कॉलोनी भीलवाडा
1/6– श्रीमति अनिता पुत्री बालकिशन पत्नि सत्यदेव पौराणिक 101 सुभाष मार्ग जवाद मध्यप्रदेश
1/7– श्रीमति मीनाक्षी पुत्र बालकिशन पत्नि राजकुमार जी शर्मा सी 63 प्रतापनगर तेजाजी का चौक चित्तौडगढ
1/8– श्रीमति किरण पुत्री बालकिशन शर्मा पत्नि मनोजकुमार जोशी हायर सेकेण्ड्री स्कुल के पीछे मावली जंक्शन
2– श्री सोमदत्त पुत्र रामपाल जोशी बजाय उसके उसके वारीसान व कानूनी प्रतिनिधी
2/1– श्रीमति कमलादेवी बेवा सोमदत्त ———मृतक——
2/2– श्री कमलनयन बालिग पुत्र सोमदत्त
2/3– श्री कुलदीप बालिग पुत्र सोमदत्त निवासी गांव टांटोटी जिला–अजमेर राज0
2/4– श्रीमति मंजूदेवी पुत्री सोमदत्त धर्मपत्नि श्री तिलोकचन्द जी उपाध्याय निवासी ए225 हरीभाउ उपाध्यायनगर, अजमेर
2/5– मधुबाला पुत्री सोमदत्त पत्नि रमेशचन्द उपाध्याय कोटडा, पुष्कर रोड, अजमेर
2/6– श्रीमति बीना पुत्री सेमदत्त पत्नि नाथूलाल शर्मा निवासी 4/265 विधाधर नगर, जयपुर जिला–जयपुर
2/7– श्रीमति उषा पुत्री सोमदत्त पत्नि नरेन्द्र जी शर्मा ई 44 न्यु सांगानेर रोड, जयपुर
3– श्री रामस्वरूप पुत्र रामपाल जोशी
4– श्री त्रिलोक पुत्र रामपाल जोशी
5– श्रीमति रामप्यारी बैवा रामपाल जोशी ——मृतक———
6– श्री नवल पुत्र भगवती प्रसाद जी
7– श्री हरीश पुत्र भगवतीप्रसाद जी
8– श्रीमति राधादेवी बैवा भगवतीप्रसाद जी जाति ब्राहम्ण
समस्त निवासीयान विजयनगर तहसील मसूदा जिला–अजमेर राज0
9– श्रीमति कंचन पत्नि भगवान स्वरूप निवासी नीम चबुतरा कायस्थ मौहल्ला अजमेर जिला–अजमेर———मृतक——
9/1– श्यामलाल जोशी पुत्र कंचन
9/2– इन्द्रराज जोशी पुत्र कंचन
निवासीयान जी0एच0 11, हाउसिंह बोर्ड कोलोनी अजयसर अजमेर
9/3– श्रीमति नीलम पुत्री कंचन पत्नि योगेश शर्मा
निवासी 1–क–66 अजयनगर अजमेर
10– श्रीमति शंकुन्तला पत्नि शिवदत्त शर्मा निवासी आमेर रोड काले हनुमान जी मंदिर के पास, जयपुर
11– श्रीमति लीला पत्नि ललित शास्त्री निवासी सुन्दर विलास, अजमेर

————वादीगण

### ब ना म

1– श्री मदनलाल पुत्र छीतरमल जी जोशी ——मृतक——
1/1– श्रीमति अमरावदेवी बैवा मदनलाल जी
1/2– श्री ओमप्रकाश वयस्क पुत्र श्री मदनलाल
1/3– श्री शिवप्रकाश वयस्क पुत्र श्री मदनलाल

1/4– श्रीमति सुशीला पुत्री मदनलाल धर्मपत्नि श्री दिनेश शर्मा निवासी दिशा साडी सेन्टर बिहारीगंज अजमेर जिला–अजमेर
1/5– श्रीमति कौशल्या पुत्री मदनलाल पत्नि पुरूषोत्तम जी शर्मा निवासी गीता भवन के पास नेहरू नगर ब्यावर
2– श्री गणपतलाल पुत्र छीतरमल जी जोशी
3– श्री भंवरलाल पुत्र छीतरमल जी जोशी
4– श्री धर्मचन्द पुत्र छीतरमल
5– श्री कैलाशचन्द पुत्र छीतरमल–––मृतक–––
5/1– श्रीमति गीतादेवी पत्नि स्व0 कैलाशचन्द
निवासी गांव बरल सेकण्ड तहसील विजयनगर
5/2– श्रीमति रेखा पुत्री कैलाशचन्द धर्मपत्नि श्री सुरेन्द्र जी शर्मा निवासी बजंरग कोलोनी विजयनगर
5/3– श्रीमति रेणु पुत्री कैलाशचन्द धर्मपत्नि श्री घनश्याम जी शर्मा निवासी खारी का लाम्बा वाया गुलाबपुरा तहसील हुरडा जिला–भीलवाडा
5/4– श्रीमति ममता पुत्री कैलाशचन्द पत्नि श्री गिरजाशंकर शर्मा निवासी टेलीफोन ऐक्सचेन्ज के सामने भीलवाडा रोड गुलाबपुरा तहसील हुरडा जि0 भीलवाडा
6– श्री राधेश्याम पुत्र छीतरमल
7– श्रीमति दुर्गादेवी बैवा श्री छीतरमल जोशी अब ––मृतक––
8– श्री देवीलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण–––मृतक–––
8/1– श्रीमति अयोध्या देवी बैवा देवीलाल जोशी निवासी ग्राम बरल द्वितीय
8/2– श्री जितेन्द्र जोशी पुत्र देवीलाल जोशी निवासी ग्राम बरल द्वितीय
8/3– श्रीमति स्नेहलता पुत्री देवीलाल शर्मा पत्नि दिनेश जोशी
निवासी सी–704 मानसरोवर पोस्ट भिवंडी मुम्बई महाराष्ट्र
9– श्री रतनलाल पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण –––मृतक––
9/1– श्रीमति ललितादेवी बैवा रतनलाल निवासी बरल द्वितीय हाल निवासी रतनकुज भंवरबाडी विजयनगर
9/2– श्री राजेन्द्रप्रसाद शर्मा वयस्क पुत्र श्री रतनलाल जी
9/3– श्री सुरेशचन्द्र शर्मा वयस्क पुत्र श्री रतनलाल जी
निवासी बरल द्वितीय हाल निवासी रतनकुंज भंवरबाडी विजयनगर
9/4– श्रीमति कंचन पुत्री रतनलाल धर्मपत्नि बद्रीविशाल सूरजदरवाजा के अन्दर देवगढ मदारिया जिला–राजसमंद
9/5– श्रीमति पुष्पा पुत्री रतनलाल धर्मपत्नि नन्दगोपाल शर्मा ए–499 विजयसिंह पथिक नगर मोती बावजी के पास सागानेरी रोड भीलवाडा राज0
10– श्री सत्यनारायण पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राहम्ण
समस्त निवासीयान गांव बरल दोयम संजयनगर विजयनगर तहसील मसूदा
11– श्रीमति प्रेमदेवी पत्नि स्व0 श्री पुखराज शर्मा पुत्री स्व0 श्री छीतरमल जी बजंरग कोलोनी सरस्वती स्कुल के पास, विजयनगर
12– श्रीमति यशोदा देवी पत्नि स्व0 श्री जुगराज जी उपाध्याय पुत्री स्व0 श्री छीतरमल जी निवासी ग्राम झीपीया तहसील भिनाय जिला–अजमेर राज0
13– श्रीमति सीतादेवी पत्नि केदार जी उपाध्याय पुत्री स्व0 श्री छीतरमल जी निवासी झीपीया तहसील भिनाय जिला–अजमेर राज0
14– श्रीमति सोहनीदेवी पत्नि श्री प्रकाश जी शर्मा पुत्री स्व0 श्री नन्दकिशोर जी रिटायर्ड ए0एन0एम0 निवासी हमीरगढ जिला–भीलवाडा
15– श्रीमति कमलादेवी पत्नि श्री रामगोपाल जी त्रिपाठी पुत्री स्व0 श्री नन्दकिशोर जी निवासी 24 मदनमोहन तल्ला स्ट्रीट शोभा बजार कलकत्ता पश्चिमी बंगाल
16– श्री नाथूलाल पुत्र जग्गुशर्मा निवासी तहनाल वाया शाहपुरा पति श्रीमति चान्ददेवी पुत्री स्व0 श्री नन्दकिशोर जी

.....लगातार

17– श्री मिश्रीलाल पुत्र श्रीमति चान्ददेवी व नाथूलाल शर्मा निवासी ग्राम तहनाल वाया शाहपुरा जिला–भीलवाडा

18– श्री प्रहलाद पुत्र श्रीमति चान्ददेवी व नाथूलाल शर्मा निवासी ग्राम तहनाल वाया शाहपुरा जिला–भीलवाडा

19– श्रीमति रूकमणी पुत्री स्व0 चान्ददेवी व नाथूलाल शर्मा निवासी ग्राम तहनाल वाया शाहपुरा जिला–भीलवाडा

प्रतिवादी संख्या 15 से 19 बहैसियत उत्तराधिकारी श्रीमति चान्ददेवी पुत्री स्व0 नन्दकिशोर जी

————प्रतिवादीगण

**तरमीम टाईटल वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 89 91, 92, 188, राज0 काश्त0 अधि0**

निर्णय दिनांक 20.9.2017

वादीगण ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि स्व0 श्री छीतर पुत्र रघुनाथ, नन्दकिशोर पुत्र छोगालाल, रामपाल पुत्र घीसालाल व सुवालाल पुत्र श्री किशन समस्त कौम ब्राहम्ण निवासी ग्राम बरल जो वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वज थे निम्न वर्णित भूमि स्थित ग्राम विजयनगर के खातेदार काबिज काश्तकार थे एंव उनका नाम संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेख में अंकित किया गया था तथा संयुक्त रूप से भूमि काश्त करते थे खसरा नंबर 87 रकबा 04–11–10, 88 रकबा 00–07–10, 89 रकबा 45–05–00 स्थित है। उक्त वर्णित भूमियो का अपने जीवनकाल में मौखिक बंटवारा कर किया था एंव प्रत्येक का 1/4 हिस्सा मनबंटनी से अलग अलग कब्जे में रहा। उक्त भूमियो में स्व0 श्री छीतरमल व नन्दकिशोर ने बजरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 10.01.1960 में वर्णित भूमि खसरा नंबर 88 का समस्त रकबा व खसरा नंबर 89 का 18–16–10 भूमि श्री मोहनलाल पुत्र भूरालाल को बेचान कर दी और उसे भूमि का कब्जा करवा दिया और नामान्तकरण भी दर्ज होकर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। इसी तरह सुवालाल ने जरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 10.01.1960 को उक्त वर्णित भूमि में खसरा नंबर 87 का समस्त रकबा व भूमि खसरा नंबर 89 का 01–06–10 भूमि श्री सोहनलाल पुत्र बालचन्द महाजन को बेचान कर दी जिसका नामान्तकरण खुलकर राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार काबिज चले आ रहे है। उक्त बेचान के पश्चात भूमि खसरा नंबर 89 का रकबा 22–2–00 स्व0 रामपाल के हिस्से में आयी थी वह कब्जे में रही तथा दक्षिणी हिस्सा खसरा नंबर 89 का उनके हिस्से में आने से उनके हिस्से में रहा। भूमि खसरा नंबर 89 जो शेष रह गई थी को राज्य सरकार ने सन् 1960 में बाडी माईनर नहर निकालने के लिये अवाप्त कर अधिग्रहण कर ली एंव इसके एंवज में भूमि खसरा नंबर 79 स्थित ग्राम विजयनगर जिसका नया नंबर 84 इसका रकबा 05–15–00 श्री रामपाल को नहर में चली गई भूमि के एंवज में कब्जा सुपुर्द कर दिया परन्तु त्रुटीपूर्ण रूप से राजस्व अभिलेख में यह भूमि चारो व्यक्तियो के नाम अंकित की गई। स्व0 छीतरमल पुत्र रघुनाथ, नन्दकिशोर पुत्र छोगालाल व सुवालाल पुत्र श्री किशन ने कभी भी अपने जीवनकाल में उक्त वर्णित भूमि जो रामपाल के हिस्सा जो नहर में चला गया था और जिस पर उसका कब्जा था के खातेदार होने बाबत एंव उसके स्वामित्व व आधिपत्य होने बाबत कत्तई कोई चाराजोही नही की थी। छीतरमल व नन्दकिशोर का स्वर्गवास हो गया है, उसके वारीसान प्रतिवादीगण है। सुवालाल का स्वर्गवास हो गया जिसका एकमात्र वारीस उनका पुत्र रामपाल था जो दोनो व्यक्ति वादीगण के दादा एंव दादाससुर व पिता व पति थे। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने राजस्व अभिलेख में स्व0 छीतर मल नन्दकिशोर के स्वर्गवास के पश्चात खतौनी जमाबंदी संवत 2054 से 2057 राजस्व अधिकारीयो से मिलकर अपना नाम बतौर उनके वारीस होने से चढवा लिया जिस बाबत भी ना तो स्व0 रामपाल को व ना ही वादीगण को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व जानकारी नही थी जो इन्द्राज राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण गलत इन्द्राजो के कारण अब वादीगण के कब्जे में इस संबंध में दिनांक 22.05.2000 को प्रवेश व अतिक्रमण करने आये व भूमि पर कब्जा करना चाहा और वादीगण को ऐलानिया कहांकि यह भूमि उनके नाम राजस्व अभिलेख में है, और उनका भी हिस्सा व अधिकार है एंव वादीगण अकेले रूप में उसके उपयोग उपभोग नही कर सकते और न उन्हें करने देंगे । सन् 1960 में राज्य सरकार द्धारा अधिग्रहण की गई जिसके एवज

में खसरा नंबर 79 नया नंबर 84 श्री रामपाल को दी गई तथा उसका कब्जा उनके जीवनकाल में चला आ रहा था और उनके मरने के बाद वादीगण का कब्जा चला आ रहा है तथा राजस्व भी रामपाल जी ने जमा करवाया। तथा उनके स्वर्गवास के होने पर प्रतिवादीगण ने अपने पूर्वजो के स्वर्गवास होने के कारण अवेध रूप से राजस्व कर्मचारीयो से मिलकर अपने नाम राजस्व अभिलेख में बतौर संयुक्त खातेदार अंकित करवा लिया जो इन्द्राज अवेध त्रुटीपूर्ण व निरस्त होने योग्य था क्योकि वह भूमि के संयुक्त खातेदार नही थे और ना उनका वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वामित्व व आधिपत्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादीगण का विवादित भूमि खसरा नंबर 84 का खातेदार काश्तकार अकेलो को घोषित किया जावे तथा जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चले आ रहे है, उनका नाम राजस्व अभिलेखो से निरस्त किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे कि विवादित भूमि खसरा नंबर 84 में वादीगण के चले आ रहे शांतिपूर्ण कब्जे उपभोग में अवरोध उत्पन्न नही करे तथा वाद का खर्चा दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को नकारते हुये कथन किया है, कि रामपाल जी को अकेले को कभी भी हाल खसरा नंबर 84 भूमि आंवटित नही हुई। वास्तविकता में यह कृषी भूमि सभी खातेदारान को आवंटित की गई जिसकी पुष्टि एंव रामपाल द्धारा पेश रेवेन्यू वाद संख्या 70/1985 एंव 19/1990 में पारीत निर्णय से हो गई अतः इस बाबत वादीगण उन आदेशो के विपरीत अन्य कोई वाद पेश नही कर सकते है, तथा यह प्रकरण रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त से बाधित है, एंव आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी रिजेक्ट किये जाने योग्य है, वादीगण का यह कथन भी सही नही है, भूमि हाल खसरा नंबर 84 के आवंटन की जानकारी उनको उनके जीवनकाल में नही हुई जबकि हाल खसरा नंबर 84 नियमानुसार सभी खातेदारान को आवंटित हुई एंव रामपाल ने इस आवंटन के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित दो रेवेन्यू वाद भी पेश किये जो कि खारीज हुये। स्व0 रामपाल एंव उसकी मृत्यु के बाद उनके वारीसान अकेले कभी भी काबिज नही रहे बल्कि समस्त खातेदारान संयुक्त रूप से काबिज रहे एंव उसके प्लॉट बनाकर अन्य व्यक्तियो को बेचान कर दिया एंव समस्त खरीदकर्तागण प्लॉट होल्डर अपने अपने खरीदशुदा प्लॉट पर काबिज है स्व0 रामपाल ने खरीदशुदा प्लॉट होल्डर जिसका विवरण जवाबदावे की चरण संख्या 12 में अंकित है, चूंकि यह भूमि अभी भी कृषि भूमि ही है, किन्तु स्व0 रामपाल एंव वादीगण ने इस भूमि को आवासीय भूमि दर्शाकर बेचाननामे निष्पादित कर दिये जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान अनुसार अवेध है। किन्तु वादग्रस्त भूमि पर काश्त होने का प्रश्न ही नही है। तथा वादीगण सहखातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी नही है। वादीगण ने जवाबदावे की चरण संख्या 20 व 21 के अनुसार अन्य सहखातेदारान को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है, जिसके कारण से वादीगण का वाद खारीज होने योग्य है। अतः वादीगण का वाद पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

वादीगण द्धारा प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत जवाबदावे का जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में वाद 9.9.1992 व दिनांक 3.3.1994 को गुणावगुण पर निर्णित नही किये गये है, और अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज किये गये है, इसलिये रेसज्यूडिकेटा के प्रावधान अन्तर्गत धारा 11 जाब्ता दीवानी के तहत लागू ही नही होते है। तथा जिनको पक्षकार बनाने का कथन किया है, उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है, इसलिये व आवश्यक पक्षकार नही है। तथा वादी ने उनके विरूद्ध वाद प्रस्तुत नही किया गया। अतः वादीगण के वाद को डिक्री किया जावे।

प्रकरण में वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के अनुसार अनुतोष सहित 13 तनकियात कायम की गई और शहादत में वादीगण में रामस्वरूप पुत्र रामपाल जी व गवाह ओमप्रकाश पुत्र रिद्धकरण जी व कैलाश पराशर पुत्र कल्याण जी का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनो को दोहराया व दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत 29 अंकित किये गये।

....................लगातार

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वाद पत्र में कथन तनकीयात निम्न प्रकार तय की जाती है।

1— आया कि वाद के पद नंबर 1 में वर्णित व्यक्ति इस पद में वर्णित भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार संयुक्त रूप से थे एंव बंटवारे के पश्चात प्रत्येक का 1/4 हिस्सा मनबंटनी से अलग अलग कब्जे में थे ? ———वादीगण

2— आया कि वाद पत्र के पद नंबर 3 में वर्णित भूमि स्व0 छीतरमल व नन्दकिशोर ने दिनांक 10.1.1960 को बजरिये बेचाननामा मोहनलाल को बेचान कर दिया था व मोहनलाल के नाम अमल दरामद होकर उसके खातेदारी में चली आ रही है? ——वादीगण

3— आया कि वाद पत्र के पद नंबर 4 में वर्णित भूमि सुवालाल ने बेचाननामा दिनांक 10.01.1960 को सोहनलाल को बेचान कर कब्जा संभला दिया व उनके नाम अमल दरामद भी हो गया? ———वादीगण

4— आया कि पद नंबर 4 वाद में वर्णित भूमि रामपाल के हिस्से में आयी व उन्ही के कब्जे में चली आ रही थी व आज वादीगण के कब्जे में चली आ रही है? ———वादीगण

5— आया कि वाद के पद नंबर 6 में वर्णित कारणो से भूमि खसरा नंबर 79 नया नंबर 84 रकबा 05—15—00 रामपाल को भूमि खसरा नंबर 89 की भूमि नहर में जाने से एवज में दी गई परन्तु राजस्व अभिलेख में छीतर, नन्दकिशोर, सुवालाल के नाम गलत अंकित हो गई व जिस बाबत रामपाल को अपने जीवनकाल में जानकारी न हो सकी जबकि वे अकेले काबिज काश्त थे व अकेले के नाम अंकित की जानी चाहिये थी? ———वादीगण

6— आया कि वादीगण स्व0 रामपाल के उत्तराधिकारी होने के कारण विवादित भूमि पर काबिज है? ———वादीगण

7— आया कि प्रतिवादी नंबर 1 से 7 त्रुटीपूर्ण राजस्व अभिलेखो के आधार पर दिनांक 22.5.2000 को अतिक्रमण करने की गर्ज से विवादित भूमि पर कब्जा करना चाहा? ———वादीगण

8— आया कि विवादित भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है, व राजस्व अभिलेखो में गलत अंकन के कारण दुरूस्त होने योग्य है? ———वादीगण

9— क्या स्व0 रामपाल द्धारा वादग्रस्त भूमि बाबत अपने जीवनकाल में रेवेन्यू मुकदमा नंबर 70/1985 एंव 19/1990 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ब्यावर पेश किये जाने एंव उसके खारीज होने के कारण प्रस्तुत वाद 11 धारा जा0दी0 रेसज्यूडिकेटा के सिद्धान्त के अनुसार बाधित है? ———प्रतिवादीगण

10— क्या स्व0 रामपाल जी एंवम उनके वारीसान में वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 79 नया नंबर 84 के आवासीय प्लॉट बनाकर मोतीलाल शर्मा, कालूभाई, सरूभाई, भंवरूभाई, मोती खां, अल्लाद्धीन, गोस्वामी मिस्त्री, ओमप्रकाश मोची, सन्तुभाई, मोहनसिंह, सुगनाबाई, भगवतीप्रसाद जांगिड एंव अन्य व्यक्तियो को बेचान कर दिया यदि हा तो इनको पक्षकार नही बनाये जाने से वाद चलने योग्य है? ———प्रतिवादीगण

11— क्या प्रस्तुत वाद में प्रेमदेवी, यशोदादेवी, सीतादेवी, सोहनीदेवी, कमलादेवी, चांददेवी, आवश्यक पक्षकार मुकदमा है, यदि हां तो इसका प्रस्तुत वाद पर क्या असर है? ———प्रतिवादीगण

12— क्या स्व0 रामपाल जी एंव वादीगण ने कृषि भूमि को आवासीय भूमि बनाकर विक्रय कर दी यदि हा तो इस पर वाद पर असर ? ————प्रतिवादीगण

13— अनुतोष?

उपरोक्त **तनकी नंबर 1** को सिद्ध करने भार वादीगण पर है, वादीगण ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने अपनी जीवनकाल में मौखिक बंटवारा होने का कथन किया है, जिसके विषय में दस्तावेज प्रदर्श—12 में मोहनलाल पुत्र भूरालाल जी जाति ब्राहम्ण ने कथन किया है, कि खसरा नंबर 84 व 191, 300 भूमि का एक

....................लगातार

मात्र मालिक रामपाल पुत्र घीसालाल होने बाबत स्टाम्प पर लिखित कथन किया है, तथा प्रदर्श–3 जमाबंदी के अनुसार भी विभाजन होना पाया जाता है, तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाह ने भी विभाजन होने का कथन अंकित किया है जबकि प्रतिवादीगण ने केवलमात्र इन्कार होने का कथन किया। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी नंबर 1 वादीगण के हक में तय पाई जाती है।

**तनकी नंबर 2 व 3** एक दूसरे से पूरक होने के कारण एक साथ तय की जाती है जिसको सिद्ध करने का भार वादीगण का है, वादीगण ने कथन किया है, कि नन्दकिशोर ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 10.1.1960 के द्वारा साबिक खसरा नंबर 88, 89, को मोहनलाल पुत्र भूरालाल व सुवालाल ने बजरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 10.1.1960 के द्वारा सोहनलाल पुत्र बालचन्द को बेचान किया जाना पाया गया। जिसके विषय में वादीगण ने अपने सपथ बयान व गवाह ओमप्रकाश, कैलाश के बयानो से भी साबित होता है, जबकि प्रतिवादीगण ने केवलमात्र इन्कारी होने का कथन किया है तथा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना नही पाया जाता है, जब रामपाल के साथ संयुक्त खातेदारों ने अपने हिस्से का बेचान किया है, तो शेष भूमियों पर रामपाल जी व उनके पश्चात उनके वारिसान के अधिकार बनना पाया जाता है तथा बेचाननामों से स्वयं की हिस्से की भूमियां बेचान किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी नंबर 2 व 3 वादीगण के हक में तय पाई जाती है।

**तनकी नंबर 4** उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण ने वादीगण ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि उक्त विवादित भूमि साबिक खसरा नंबर 79 हाल खसरा नंबर 84 की भूमि रामपाल के ही कब्जे में चली आ रही है, तथा प्रतिवादीगण का नाम गलत दर्ज हो गया है। वादीगण ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–12 इकरारनामा दिनांक 23.05.1977 मोहनलाल पुत्र भूरालाल द्वारा ने कथन किया है, उक्त भूमि खसरा नंबर 84, 191 व 300 अकेले रामपाल पुत्र घीसालाल के ही कब्जे व मालिकाना में चली आ रही है, तथा उन्ही के द्वारा बोई जा रही है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि वादीगण के द्वारा ही बोई जाना तथा कब्जे में होना पाया जाता है अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में तय किया जाना पाया जाता है।

**तनकी नंबर 5, 6, 7 व 8** एक दूसरे से पूरक होने के कारण एक साथ तय की जाती है। उक्त तनकीयो को सिद्ध करने का भार वादीगण ने वादीगण ने अपने वाद पत्र की चरण संख्या 6 में कथन किया है कि रामपाल को भूमि खसरा नंबर 89 नहर में चले जाने के कारण से उसे साबिक खसरा नंबर 79 व हाल खसरा नंबर 84 भूमि दी गई है जिसमें केवलमात्र रामपाल का ही कब्जा मालिकाना चला आ रहा है, छीतर, नन्दकिशोर, सुवालाल के नाम गलत दर्ज चली आ रही है। वादीगण ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार 1359 फसली खतौनी जमाबंदी प्रदर्श–1 में छीतर पुत्र रूगनाथ, नन्दकिशोर पुत्र छोगालाल, रामपाल पुत्र घीसालाल व सुवालाल पुत्र श्रीकिशन के नाम साबिक खसरा नंबर 87, 88, 89 दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–2 नामान्तकरण में मोहनलाल पुत्र भूरालाल के नाम दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–3 जमाबंदी संवत 2014 से 2017 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 87, 88, 89 का विभाजन मोहनलाल पुत्र भूरालाल, सुवालाल पुत्र श्रीकिशन, सोहनलाल पुत्र बालचन्द व रामपाल पुत्र घीसालाल के मध्य होना पाया गया। प्रदर्श–4 जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में साबिक खसरा नंबर 88, 89 मोहनलाल पुत्र भूरालाल के नाम अकेले के नाम दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–5 नामान्तकरण के द्वारा सोहनलाल पुत्र बालचन्द के नाम स्वीकृत होना पाया गया। तथा प्रदर्श–6 वारीसान प्रमाण पत्र के अनुसार रामपाल के वारीसान का नाम दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–7 जमाबदी संवत 2018 से 2021 में खाता संख्या 45 सोहनलाल पुत्र बालचन्द के नाम एंव खाता संख्या 56 छीतरपुत्र रूघुनाथ व नन्दकिशोर पुत्र छोगालाल व रामपाल पुत्र घीसालाल, सुवालाल पुत्र श्रीकिशन के नाम दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–8 जमाबंदी संवत 2022 से 2025 के खाता संख्या 24 के अनुसार छीतरपुत्र रूघुनाथ व नन्दकिशोर पुत्र छोगालाल व रामपाल पुत्र घीसालाल, सुवालाल पुत्र श्रीकिशन। इसी प्रकार प्रदर्श–8 के खाता संख्या 72 में बांधनारायण सागर बाडी माईनर में खराब हुई जमीन की

.....लगातार

एवज दी गई भूमि के काश्तकार खसरा नंबर 79 में छीतरपुत्र रूधुनाथ व नन्दकिशोर पुत्र छोगालाल व रामपाल पुत्र घीसालाल, सुवालाल पुत्र श्रीकिशन के खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–9 नक्शा ट्रेस एंव जमाबंदी संवत 2054 से 2057 प्रदर्श–10 हाल खसरा नंबर 84 मदनलाल, गणपतलाल, भंवरलाल, धर्मीचन्द, कैलाशचन्द, राधेश्याम पिसरान छीतरमल, दुर्गादेवी बैवा छीतरमल, रामपाल पुत्र घीसालाल, देवीलाल, रतनलाल, सत्यनारायण पिसरसान नन्दकिशोर, मु0 सरजु बैवा नन्दकिशोर व सुवालाल पुत्र श्रीकृष्ण के नाम दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–11 मिलान क्षैत्रफल से साबिक खसरान के हाल खसरा नंबर होना पाये गये। प्रदर्श–13 व 14 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–15 जमाबंदी सवंत 2054 से 2057 के खसरा नंबर 191 व 300 रामपाल पुत्र घीसलाल के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–16 लगायत 29 लगान की रसीद होना पाया गया। उक्त दस्तावेजी विवेचन के अनुसार रामपाल व छीतर, नन्दकिशोर, सुवालाल के बीच में प्रदर्श–3 के अनुसार विवादित भूमियो का विभाजन होना पाया गया एंव प्रदर्श–12 के अनुसार विवादित भूमि हाल खसरा नंबर 84 व 191, 300 पर रामपाल के हक हिस्से में आना तथा उन्ही का कब्जा होने का कथन अंकित होना पाया गया। एंव प्रदर्श–15 के अनुसार विवादित प्रदर्श–12 की पूर्ण से पुष्टि होना साबित होता है। जबकि प्रतिवादीगण ने जवाबदावे को साबित करने के समर्थन में कोई साक्ष्य गवाह प्रस्तुत नही किये है, और अपने विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करवा ली। एंव प्रदर्श–6 के अनुसार रामपाल के वारीसान वादीगण होना साबित पाया जाता है। जबकि वादीगण ने सशपथ न्यायालय में बयान पेश किये तथा दो गवाह ओमप्रकाश व केलाश ने बयान कराये है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार अतः उक्त तनकीयात वादीगण के हक में तय पाई जाती है।

**तनकी नंबर 9** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में कथन किया है कि राजस्व वाद संख्या 70/1985 व 19/1990 में पारीत फेसले के विपरित वादीगण नया वाद प्रस्तुत नही कर सकते है। इसके विषय में प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में कथन अंकित किया है किन्तु उसके विषय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जबकि दस्तावेज में राजस्व वाद संख्या 19/90 व 70/1985 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत है, उसमें उक्त वाद केवलमात्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारीज हुये है। तथा वर्तमान वाद नया वाद कारण दिनांक 22.5.2000 को उत्पन्न होना अंकित करते हुये वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि कानूनन नया वाद कारण उत्पन्न होने के आधार पर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, तथा पूर्व वाद/प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिजत्र होना रेसज्युडिकेटा की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में धारा 11 जाब्ता दीवानी के प्रावधान लागू नही होते है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय किया जाना पाया जाता है।

**तनकी नंबर 10** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था किन्तु प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे की चरण संख्या 12 में केवलमात्र कथन ही किया है, कि उन व्यक्तियो को पक्षकार नही बनाया गया उसके विषय में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेज साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जबकि उक्त वाद विभाजन का ना होकर घोषणा है, और वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के विरूद्ध ही अनुतोष चाहा गया है, इसलिये वह आवश्यक पक्षकार होना नही पाया जाता है, अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

**तनकी नंबर 11** इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है, उक्त तनकी के विषय में कथन है, कि वादीगण ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र 1 नियम 10 जाब्ता दीवानी का पेश किया था जिसको इस न्यायालय ने दिनांक 01.11.2011 को स्वीकार कर उन्हें बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाने का आदेश पारीत कर दिया और संशोधित उनवान भी प्रस्तुत किया जा चुका है, इसलिये उक्त तनकी पक्षकार बना लिये जाने के आश्य से तय की जाती है।

**तनकी नंबर 12** इस तनकी को सिद्ध को भार प्रतिवादीगण पर है, प्रतिवादीगण ने केवलमात्र अपने जवाबदावे में कथन किया है कि रामपाल व उसके वारीसान ने उक्त भूमि

.....लगातार

आवासीय भूमि बताकर बेचान कर दी। जबकि इसके विषय में प्रतिवादीगण ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है, और न ही मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, जबकि प्रदर्श–10 जमाबंदी में विवादित भूमि खसरा नंबर 84 की किस्म बारानी–3 अंकित होना पाया जाता है और किस प्रकार से आवासीय किया जाकर बेचान किया गया है, उसमें विषय में ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रतिवादीगण द्धारा प्रस्तुत किया जाना नही पाया गया। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी नंबर 13 अनुतोष उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकीया 1 लगायत 8 वादीगण के हक में तय की जा चुकी है, तथा तनकी नंबर 9, 10, 12 प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जा चुकी है।

ऐसी स्थिति में वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है, कि मौजा विजयनगर पटवार क्षैत्र विजयनगर तहसील मसूदा हाल तहसील विजयनगर में आराजी हाल खसरा नंबर 84 रकबा 05–12–00 किस्म–बा03 में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 अथवा उनके पूर्वजो का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी पैदा नही करे तथा वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नही करे। तथा विवादित भूमि को बेचान हस्तांतरण आदि नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/9/17 को मेरे द्धारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 12:25:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: